(225)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(191)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 9 MAY 2010

परिपत्र

नमक खारडा अर्थात नमक उत्पादन क्षेत्र विशुद्ध रूप से औद्योगिक प्रयोजन में सम्भावित नही होता है। यह उद्योग एक विशिष्ट श्रेणी का उद्योग है। इस कारण राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.02.09 22.1.10 एवं 25.01.10 पूर्णत नमक उत्पादक क्षेत्र व नमक प्लांट हेतु लागू नही किया जा सकता है। इन उद्योगों की स्थापना किसी नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में नही होकर खेतो में ही होती है। पूर्व में जारी आदेश दिनांक 3.10.06 में नमक खारडा व प्लांट हेतु स्पष्ट रूप से क्षेत्रफल निर्धारित नही किया गया, केवल दरें ही निर्धारित की गई। इस कारण लगभग समस्त प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

अतः ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के सक्षम स्तर पर लिए गये निर्णय के क्रम में परिपत्र दिनांक 25.02.09 22.1.10 एवं 25.01.10 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है–

(1) नमक खारडा (नमक उत्पादक क्षेत्र) तथा नमक प्लांट संयुक्त रूप से लगाने पर 6.25 हेक्टेयर तक एकल तथा केवल नमक खारडा लगाने हेतु 3.75 हेक्टेयर तक एकल पट्टा एवं केवल नमक प्लांट लगाने हेतु 2.50 हेक्टेयर तक एकल पट्टा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया जा सकेगा।

(2) नमक खारडा (नमक उत्पादक क्षेत्र) तथा नमक प्लांट बाह्य विकास शुल्क वसूली से मुक्त रखा जायेगा।

(3) नमक खारडा (नमक उत्पादक क्षेत्र) तथा नमक प्लांट का ले–आउट प्लान संबंधित ले–आउट समिति द्वारा पारित किये जायेगें, किन्तु इन पर मानदण्ड आवासीय/व्यावसिदिक/औद्योगिक योजना हेतु निर्धारित मानदण्ड लागू नही होगें।

(4) आदेश पारित होने के पूर्व लम्बित समस्त प्रकरण उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्तारित किये जायेगें। इस आदेश के पूर्व जारी हो चुके पट्टों के संबंध में वसूल की गई राशि रिफण्ड योग्य नही होगी।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करावें।
7. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
9. रक्षित पत्रावली।

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव–प्रथम